2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज कानसिंह बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 191 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कानसिंह पुत्र हजारीसिंह निवासी मगरा पूंजला, गहलोतों का बास, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.10.17. में उसके द्वारा (1) गिरदावरी ख.नं. 227, 232, 234 संवत् 1998–99, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	